HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1327/2007

कालू पुत्र हुसैन खां जाति ढ़ाढी, निवासी सालासर, त. सुजानगढ़ जिला चूरू, राजस्थान।
(हाल जिला कारागृह, चूरू)

----Petitioner

Versus

राजस्थान सरकार

----Respondent

For Petitioner(s)	:	None Present
For Respondent(s)	:	Mr. Shrawan Singh Rathore, Dy.G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE FARJAND ALI

Order

14/07/2025

1. याची को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 279, 337, 338 व 304ए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध घोषित किया गया तत्पश्चात् उसके द्वारा प्रस्तुत अपील भी निरस्त कर दी गई, अतएव यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता कुछ सीमा तक बहस करने के पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि के निर्णय एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि करने के निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका को बल नहीं देते हुए निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत प्रकरण लगभग 25 से 27 वर्ष पुराना हो गया है और अभियुक्त–याची कुछ समय अनुसंधान और विचारण के दौरान अभिरक्षा में भी रहा है एवं इतने वर्षों तक उसने न्यायिक प्रक्रिया को भोगने की यंत्रणा भी झेली है अतएव दंडादेश के आदेश को उसकी भुगती हुई सजा में परिवर्तित कर दिया जावे।

3. इस न्यायालय द्वारा संतोष करने के उद्देश्य से विद्वान विचारण न्यायालय एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय को देखा और पाया कि वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालयों ने अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

4. अतएव यह याचिका इस सीमा तक निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित पुष्टिकारक निर्णय यथावत रखा जाता है।

5. जहां तक दंडादेश के आदेश को भुगती हुई सजा में परिवर्तित करने के संबंध में निवेदन किया गया है, इस न्यायालय द्वारा इस पर विचार किया गया और पाया कि यह तथ्यात्मक सच्चाई है कि घटना को 25 से 27 वर्ष हो चुके हैं, इतने वर्षों तक अभियुक्त–याची ने न्यायिक प्रक्रिया का मानसिक आघात सहा है, उसको आर्थिक और शारीरिक क्षति भी हुई है, वह कुछ समय अभिरक्षा में भी रहा है तथा घटना के समय उसकी आयु और उसकी वर्तमान आयु को भी ध्यान में रखा गया है। इसके साथ–साथ यह भी देखा गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अभियुक्त–याची को परिवीक्षा का लाभ देने के संबंध में युक्तियुक्त निर्णय नहीं लिया गया, जबकि मामला अनन्य रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित है और मामले में धारा 360 दंड प्रक्रिया संहिता अथवा धारा 3 एंव 4 परिवीक्षा अधिनियम, 1961 के प्रावधान भी आकर्षित हो सकते थे। चूंकिः इतने वर्षों पश्चात् अभी समीचीन नहीं होगा कि अभियुक्त–याची को अगले एक वर्ष या कुछ समय के लिए अपने आचरण को संयमित रखने बाबत् कहा जाए। अभियुक्त के पूर्ववर्ती आचरण के संबंध में कोई विपरित सामग्री उपलब्ध नहीं है। पूर्व दोषसिद्धि का कोई आक्षेप भी नहीं

है। सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् यह न्यायालय यह समीचीन एवं न्याय की दृष्टि से उचित समझता है कि अभियुक्त के द्वारा अनुसंधान विचारण एवं अपीलीय न्यायालय के आदेश के पश्चात् जो अवधि कारावास में गुजारी है उतना दंड प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में उसके लिए पर्याप्त है। दंड के सुधारात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह आदेश करना उचित समझा जाता है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश को परिवर्तित कर अभियुक्त के द्वारा अब तक भुगती हुई सजा में दंडादेश को परिवर्तित कर दिया जावे।

6. उक्तानुसार यह याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आपराधिक प्रकरण संख्या 190/1999 में विद्वान विचारणीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 06.07.2005 एवं अपील संख्या 69/2007 (4/05) में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित पुष्टिकारक आदेश दिनांक 05.11.2007 के द्वारा पारित दंडादेश को परिवर्तित कर अभियुक्त–याची को उसकी अब तक भुगती हुई सजा में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि इस न्यायालय की राय में यह न्याय की प्राप्ति के लिए आवश्यक होगा।

7. अभियुक्त को पुनः समर्पण की आवश्यकता नहीं है। लंबित समस्त प्रार्थना पत्र, यदि कोई हो, निरस्त समझे जावे।

8. एतद्द्वारा याची के जमानत मुचलके समाप्त किए जाते हैं।

9. अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख पुनः प्रेषित किया जावे।

(FARJAND ALI),J

4-Rakesh/-